कार्यालय,
धनबाद नगर निगम, धनबाद।

दूरभाष :18008904160

ई–मेल : dhanbadmunicipalcorporationadm@gmail.com,

पत्रांक 1887 दिनांक 10/8/23

— :: आदेश ::—

श्रीमति उषा सिंह एवं अन्य, देवीपाडा, हीरापुर, धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन में उल्लेखित माडा द्वारा स्वीकृत नक्शा संख्या बी0डी0 सं0–970A/2015–16 का समय अवधि विस्तार करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में जाँच टीम द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें समय अवधिविस्तार हेतु भवन शुल्क की गणना कर 1,73,272.00 (एक लाख तीहतर हजार दो सौ बहातर) रू0 का आकलन किया गया। उक्त आलोक में कार्यालय पत्रांक 1760 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा भवन शुल्क की राशि निगम कोष में जमा कराने का पत्र निर्गत किया गया। आपके द्वारा डी0डी0सं0–005275 दिनांक 02.08.2023 राशि 1,73,272.00/– रू0 IDBI बैंक, सरायढेला, धनबाद का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न कर समय आवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त तथ्यो के आलोक में माडा द्वारा स्वीकृत नक्शा के बी0डी0संख्या–970A/2015–16 का समय अवधि का विस्तार इस शर्त्त के साथ किया जाता है कि उक्त भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शा के अनुरुप करेगे। **यह आदेश निर्गत तिथि से दो वर्ष तक के लिये ही मान्य होगो।**

10-8-23

नगर आयुक्त,
धनबाद।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:– न0नि0वि0–8/2018–...........

सेवा में,

श्रीमती उषा सिंह एवं अन्य
पति- श्री [illegible] कुमार सिंह एवं अन्य,
देवीपाड़ा, [illegible]पुर, धनबाद।

धनबाद, दिनांक:–........../........../2018

विषय:– आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0–970ए/15-16 सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक 11/[illegible]/16 के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या–976, 1795, 1796, 5339 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या–2976॥ 1॥ 08-09, 282॥ 1॥ 99-2000 जमाबंदी संख्या–1251, 419, 422, 443 से निर्गत लागान रसीद वर्ष 170, 292॥ 1॥ [illegible]-01 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश न0–.................... के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि [illegible]पुर-11 .... अन्तर्गत खाता नं0– 33, 12 प्लॉट नं0– 603, 607 रकवा 997.08 [illegible] डी0 भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता [illegible] की देख–रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 3 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर मुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावारण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशलन विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा। ~~[illegible]~~ 1,75015/-

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू0 1% [illegible] $\frac{1}{3}$ भाग रू0 1,74,[illegible]/- का बैंक ड्रपट एवं रू0–............................... का दो पोस्ट डेटेड चेक दिनांक– 15/8/2019 एवं दिनांक– 14/8/2020 का जमा किया गया है।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजाती में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।

ज्ञापांक:– न0नि0वि0/8–2018 – 260

दिनांक:– 4/10/2018

प्रतिलिपि:– [illegible], लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद।

प्रतिलिपि:– सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/09/18

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।

18/8/18 8/8/18

Scanned with OKEN Scanner